



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07072021-228156
CG-DL-E-07072021-228156

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2521]
No. 2521]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 7, 2021/ आषाढ़ 16, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 7, 2021/ASHADHA 16, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2021

का.आ. 2724(अ).—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 4026 (अ), तारीख 20 अगस्त, 2018 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रमशः स्तंभ (1), (2), (3) एवं (4) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियों का विलोपन किया जाएगा, अर्थात्:-

“44	(चुरईबाड़ी से अगरतला खंड) (त्रिपुरा राज्य में)	किमी 284.000 से 482.00	198.00
-----	---	------------------------	--------

[फा. सं. एनएच 14013/13/2021-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना का.आ. 4026 (अ), तारीख 20 अगस्त, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 2021

S.O. 2724(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O 4026 (E), dated the 20th August, 2018, namely:-

In the Table to the said notification, the following entries, under columns number (1), (2), (3) and (4) respectively shall be omitted:-

“44	[Churaibari to Agartala Section] (in the State of Tripura)	Km 284.00 to 482.00	198.00
-----	---	---------------------	--------

[F. No. NH-14013/13/2021-P&M]

RAJESH GUPTA, Director

Note: - The principal notification was published vide number S.O 4026 (E), dated the 20th August, 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2021

का.आ. 2725(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में कार्य प्रत्येक राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट राज्य सरकार द्वारा इस शर्त के अधीन पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), दिनांकित 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, नामतः:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 30 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

सारणी

(1)	(2)	(3)
“30	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 44 [चुरईबारी से अगरतला खंड (किमी 284.000 से किमी 482.00) और अगरतला बाइपास (पश्चिमी शाखा) अर्थात् लेंबूचेरा - हवाई अड्डा - अमताली] सं. 208ए [किमी 0.00 से किमी 45.00 (कैलाशहर से कुर्ती पुल त्रिपुरा / असम सीमा खंड) तक को छोड़कर] के उतने भाग जो त्रिपुरा राज्य में अवस्थित हैं।	त्रिपुरा राज्य सरकार”

[फा. सं. एनएच 14013/13/2021-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), दिनांकित 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसे पिछली बार अधिसूचना सं.का.आ. 2179(अ), दिनांकित 8 जून, 2021 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 2021

S.O. 2725(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 30 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

Table

(1)	(2)	(3)
“30	So much of National Highways No. 44 [Churaibari to Agartala Section (Km 284.00 to 482.00) and Agartala By-pass (Western Arm) i.e. Lembucherra-Airport- Amtali] , No. 208A [excluding from Km 0.00 To km 45.00 (Kailashahar to Kurti bridge Tripura/Assam border Section)] as are situated within the State of Tripura.	State Government of Tripura”.

[F. No. NH-14013/13/2021-P&M]

RAJESH GUPTA, Director

Note: - The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 2179 (E), dated the 8th June, 2021.